उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या– 9956 / पांच–8–08–129वि0 / 08
लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 9691 / पांच–8–08–129विविध / 01, दिनांक 25.09.08 द्वारा किया गया है।

2– खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अधीन मण्डल स्तर पर संगठनात्मक ढांचा निम्नवत होगा:–

(i) खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त के अधीन एक सहायक औषधि आयुक्त (वेतनमान रू0 10000–15200) तथा एक सहायक खाद्य आयुक्त (वेतनमान रू0 8000–13500) तैनात होगें। सहायक औषधि आयुक्त के अधीन एक औषधि निरीक्षक एवं सहायक खाद्य आयुक्त के अधीन एक खाद्य निरीक्षक तैनात होगें।

(ii) खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत मण्डल कार्यालय में एक खाद्य एवं औषधि लिपिक, एक वाहन चालक तथा 02 अनुसेवक तैनात होगें, जो अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ में से समायोजित किये जायेगें। उक्त खाद्य एवं औषधि लिपिक की तैनाती मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।

3– खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अधीन जनपद स्तर पर संगठनात्मक ढांचा निम्नवत होगा:–

(i) खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन एक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी / अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 [illegible]00–18300) की तैनाती होगी।

(ii) अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नगर नगर निगम वाले जनपदों में दो औषधि निरीक्षक एवं अन्य जनपदों में एक औषधि निरीक्षक तैनात होगें। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी / अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन एक मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं प्रत्येक नगर निगम में 05 खाद्य निरीक्षक, प्रत्येक नगर महापालिका में 02 खाद्य निरीक्षक एवं प्रत्येक ब्लाक पर 01 खाद्य निरीक्षक तैनात होगें।

(iii) खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत जनपदीय कार्यालय में एक खाद्य एवं औषधि लिपिक तथा 02 खाद्य सहायक तैनात होगें, जो मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के स्टाफ में तैनात कनिष्ठ लिपिक / सेनेटरी सुपरवाइजर / औषधि अनुसेवक से समायोजित किये जायेगें, जिनकी तैनाती जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी। उक्त कनिष्ठ लिपिक खाद्य एवं औषधि पटल पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत न हो तथा कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले कार्मिकों को वरीयता दी जायेगी।

-2-

— जनपद के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य नमूना लेने हेतु कोड [illegible] [illegible] अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर संगठनात्मक ढांचे के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(नीता [illegible])
प्रमुख सचिव।

संख्या–4566 (1)/पांच–8–08तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– समस्त [illegible] सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन
3– आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ०प्र०।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
7– महानिदेशक, परिवार कल्याण/प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
8– निदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ।
9– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
10– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
11– औषधि नियंत्रक, उ०प्र०।
12– संयुक्त [illegible], स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
13– जन विश्लेषक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०।
14– समस्त स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
15– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

राज किशोर यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ0 प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2008

विषय:– खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय का कार्यालय स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध

महोदय,

विदित होगा कि प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–36 1/पांच–8–08–12 विविध/2001, दिनांक 25.09.08 द्वारा महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन का आदेश निर्गत किया गया है।

2– शासन के पत्र संख्या–4168/पांच–8–08–93मले./08, दिनांक 18.11.08 द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय को जवाहर भवन के चतुर्थ तल स्थित रिक्त कक्षों में स्थापित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। तदोपरान्त सम्यक् विचारोपरान्त उक्त आदेश को संशोधित करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय को राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर–सी. इन्दिरानगर के प्रांगण में स्थित उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम परियोजना के भवन भाग के भूतल पर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के कार्यालय को राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर–सी. इन्दिरानगर के प्रांगण में स्थित उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम परियोजना के भवन भाग के भूतल पर स्थापित कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शीघ्र शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।

संख्या–4535 (1)/पॉच–8–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम परियोजना, इन्दिरा नगर लखनऊ।
(2) निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
(3) निदेशक, स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ।
(5) संयुक्त आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय को उपरोक्तानुसार नये स्थान पर स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
(6) संयुक्त आयुक्त (औषधि), खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय को उपरोक्तानुसार नये स्थान पर स्थापित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 4536 / पांच–8–08
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन की स्वीकृति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3691 / पांच–8–08–129विविध / 01, दिनांक 25.09.08 द्वारा की गयी थी।

2– खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन के परिणाम स्वरूप श्री राज्यपाल आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय को उ0 प्र0 राज्य के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित करते हैं।

(हस्ताक्षर)
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– (1) / पांच–8–08तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (2) / पांच–8–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– ~~आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।~~
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– संयुक्त निदेशक (खाद्य) उ0 प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
5– समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-4538/पाँच-8-08-128 विधि/08
लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्यांछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी कियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन की स्वीकृति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3691/पांच-8-08-129विविध/01, दिनांक 25.09.08 द्वारा दी गयी है।

2- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत समस्त कार्यों के कियान्वयन हेतु पूर्व से अधिसूचित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक तथा नगर विकास विभाग के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन के परिणाम-स्वरूप यथावत अधिसूचित बने रहेंगें।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

संख्या- (2)/पाँच-8-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
~~संयुक्त निदेशक (खाद्य) उ0 प्र0 लखनऊ।~~
4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
5- समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उ0प्र0।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– [illegible] / पॉच–8–08
लखनऊ, दिनांक 29 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा [illegible] खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में [illegible] प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय' के गठन की स्वीकृति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3091/पांच–8–08–129विविध/01, दिनांक 25.09.08 द्वारा की गयी है।

2– खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 [illegible] मुख्य चिकित्साधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय के गठन के उपरान्त श्री राज्यपाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी घोषित करते हैं।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– (1)/पॉच–8–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (2)/पॉच–8–2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– संयुक्त निदेशक (खाद्य) उ0 प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
5– समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लोकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

FROM : U.C.B.S.FCD LKO. FAX NO. : 2762954 Dec. 29 2008 12:[illegible]